96. लिखत का रजिस्ट्रीकरण—जब इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (ऐक्ट सं० 16, 1908) अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में यह अपेक्षा की गई हो कि किसी लेख्य के लिखने वाले अथवा उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उनके सम्बन्ध में कोई कार्य किया जायगा, और यह लेख्य [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की ओर से लिखा गया हो अथवा वह ऐसा लेख्य हो जिसके अधीन [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] दावा करे, तो वह कार्य, उपर्युक्त अधिनियमिति अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, [1][जिला पंचायत] की दशा में मुख्य अधिकारी द्वारा अथवा [1][जिला पंचायत] के तदर्थ अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, और [1][क्षेत्र पंचायत] की दशा में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा या [1][क्षेत्र पंचायत] के तदर्थ अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

97. अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों के प्रयोग तथा सम्पादन के सम्बन्ध में विवाद—(1) जब इस विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कर्तव्य या कृत्य के सम्पादन के लिये [1][जिला पंचायत], अध्यक्ष, कार्य समिति; वित्त समिति, मुख्य अधिकारी या [1][जिला पंचायत] की कोई अन्य समिति अथवा अधिकारी उचित प्राधिकारी है या नहीं, तो मामला मुख्य अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(2) जब इस विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार के प्रयोग अथवा किसी कर्त्तव्य या कृत्य के सम्पादन के लिये [1][क्षेत्र पंचायत], प्रमुख [1][कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति], खण्ड विकास अधिकारी या [1][क्षेत्र पंचायत] की कोई अन्य समिति अथवा अधिकारी उचित प्राधिकारी है या नहीं, तो मामला जिला मैजिस्ट्रेट को अभिदिष्ट किया जायगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। ऐसा कोई भी निर्णय देने में जिला मैजिस्ट्रेट उन सामान्य आदेशों से निर्देशित होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर एतदर्थ जारी किये जायें।

98. कार्यों तथा कार्यवाहियों की वैधता—(1) [1][जिला पंचायत] में या [1][जिला पंचायत] की किसी समिति में या कार्य समिति द्वारा नियुक्त किसी उपसमिति में वर्तमान किसी रिक्ति के कारण उसका कोई कार्य या कार्यवाही अमान्य न होगी।

(2) यदि कार्य या कार्यवाही किये जाने के समय उपस्थित व्यक्तियों में बहुमत, यथास्थिति [1][जिला पंचायत], समिति या उपसमिति के ऐसे सदस्यों का रहा हो जिनमें कोई ऐसी अनर्हता अथवा दोष न हो, तो [1][जिला पंचायत] के अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति या उपसमिति के सदस्य के रूप में अथवा [1][जिला पंचायत] की या ऐसी समिति अथवा उपसमिति की बैठक में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की अनर्हता, या उसके निर्वाचन, अनुमेलन या नियुक्ति में त्रुटि के कारण यह न समझा जायगा कि [1][जिला पंचायत] समिति या उपसमिति का कोई कार्य या कार्यवाही अमान्य हो गई है।

(3) जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाय तब तक प्रत्येक लेख्य या कार्यवृत्त (minutes) के विषय में, जो [1][जिला पंचायत] या समिति या उपसमिति की कार्यवाही का अभिलेख भावित हो, यदि वह सारतः उसी रीति से तैयार तथा हस्ताक्षर किया गया हो जो उस प्रकार की कार्यवाही का अभिलेख तैयार करने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के लिये नियत की गई हो, यह समझा जायगा कि वह यथाविधि संघटित ऐसी [1][जिला पंचायत] समिति या उपसमिति की यथाविधि संयोजित बैठक की कार्यवाही का शुद्ध अभिलेख है, जिसके सब सदस्य यथाविधि अर्ह थे।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं के उपबन्ध प्रत्येक [1][क्षेत्र पंचायत] या उसकी समिति अथवा उप-समिति के कार्यों तथा कार्यवाहियों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित